रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 430] नई दिल्ली, बुधवार, जून 27, 2018/आषाढ़ 6, 1940
No. 430] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 27, 2018/ASHADHA 6, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2018

सा.का.नि. 588(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम, 2018 है ।

(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

'(छक) "स्वेच्छया" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 39 में उसे दिया गया है।'।

3. उक्त नियम के नियम 12 में उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) उपनियम (4) के अधीन अत्याचार पीड़ित व्यक्ति या उसके/उसकी आश्रित को मृत्यु या क्षति या बलात्संग या सामूहिक बलात्संग या प्रकृति विरुद्ध अपराध या अम्ल के प्रयोग द्वारा स्वेच्छया घोर उपहित कारित करने या स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना आदि या सम्पत्ति को नुकसान के लिए राहत तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्रतिकर का दावा करने के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त होगी ।"।

4. उक्त नियम के, नियम 16 के उपनियम (1) में "अधिक से अधिक 25 सदस्यों की" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

5. उक्त नियमों की अनुसूची में, उपाबंध 1 में,-

(क) क्रम संख्यांक 24 के सामने स्तम्भ (2) में, प्रविष्टयों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326क – अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित करना ।"

"भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326ख – स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना, [अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित "धारा 3(2)(फ), 3(2) (फक)"] रखा जाएगा;

(ख) क्रम संख्यांक 26 के सामने स्तम्भ (2) में "धारा 32(फक)" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "धारा 3(क)(फक)" शब्द, अंक, कोष्टक और अक्षर रखे जाएंगे।

(ग) क्रम संख्यांक 44 के सामने स्तम्भ (2) में, -

(i) "बलात्संग या सामूहिक बलात्संग" शब्दों के स्थान पर "बलात्संग, प्रकृति विरुद्ध अपराध या सामूहिक बलात्संग" शब्द रखे जाएंगे ।

(ii) मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(i) बलात्संग आदि या प्रकृति के विरुद्ध अपराध [भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 375, धारा 376, धारा 376क, धारा 376 ड. और धारा 377]।"।

[फा.सं. 11012/1/2016-पीसीआर (डेस्क)]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2018

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995, namely:-

1. (1) These rules may be called the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the rules), in rule 2, after clause (g), the following clause shall be inserted, namely:-

   '(ga) "voluntarily" shall have the same meaning as assigned to it in section 39 of the Indian Penal Code (45 of 1860).'.

In the said rules, in rule 12, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(5) The relief provided to the victim of the atrocity or his/her dependent under sub-rule (4) in respect of death, or injury or rape, or gang rape, or unnatural offences, or voluntarily causing grievous hurt by use of acid, or voluntarily throwing or attempting to throw acid etc. or damage to property shall be in addition to any other right to claim compensation respect thereof under any other law for the time being in force.".

4. In the said rules. In sub-rule (1) of rule 16, the words and figures "of not more than 25 members" shall be omitted.

5. In the said rules, in the Schedule, in annexure-I,-

(a) against Sr. No. 24, in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Section 326A of the Indian Penal Code (45 of 1860)- Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.,

Section 326B of the Indian Penal Code (45 of 1860)- Voluntarily throwing or attempting to throw acid,

[Section 3(2)(v), 3(2)(va) read with Schedule to the Act]" shall be substituted;

(b) against Sr. No. 26, in column (2), for the words, figures, brackets and letters "Section 32)(va)", the words, figures, bracket and letters "Section 3 (a) (va)" shall be substituted;

(c) against Sr. No. 44, in column (2),-

(i) For the words, "Rape or Gang rape", the words "Rape, Unnatural Offences or Gang rape" shall be substituted;

(ii) For item (i), the following item shall be substituted, namely:-
"(i) Rape, etc., or Unnatural Offences (Sections 375, 376, 376A, 376E and 377 of the Indian Penal Code (45 of 1860)].".

[F. No. 11012/1/2016-PCR (Desk)]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.07.02 11:19:06 +05'30'